

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 14/2023

अपीलांट्स –

1. मंगलाराम पुत्र रावताराम
2. दमाराम के कायम मुकाम गुमनाराम पुत्र रावताराम
- 2/1 पुराराम पुत्र दमाराम
- 2/2 पोलाराम पुत्र दमाराम
- 2/3 समदादेवी पत्नि दमाराम जाति मेघवाल निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. जेठाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक 35 दिनांक 10.12.2010 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :-


1. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।



निर्णय

दिनांक : 08.07.2025


1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 35 दिनांक 10.12.2010 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा आसुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 282, 312 रकबा 84-07 बीघा भूमि खातेदारान मंगला दमा जेठा पि. रावता कौम मेघवाल साकिन आसुओं की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 10.12.2010 को प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी सांजटा की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 35 दिनांक 10.12.2010 पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा


जिला कलक्टर
बाड़मेर

225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा आसुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 282, 312 रकबा 84-07 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलांट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 2/1 से 2/4 का संयुक्त 1/3 हिस्सा व उतरदाता संख्या 2 का 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में बनता है। तथा इन्ही हिस्सों माफिक पक्षकारान बाहमी तौर से किये गये बंटवाडा माफिक काबिज है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाडा माफिक उतरदाता संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य बात यह तय हुई कि किसी भी पक्षकार का घर व पानी का टांके प्रभावित नहीं होंगे तथा कोई भी पक्षकार आवागमन के रास्ते में एक-दूसरे को किसी प्रकार की रूकावट नहीं करेंगे। उतरदातागण संख्या 2 का विश्वास कर अपीलांट्स ने कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अगुष्ट निशानात किये लेकिन उक्त पेपरों के साथ संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुए नहीं थे तब उतरदाता संख्या 2 व 3 ने बताया कि पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांके को बिना प्रभावित करते हुए तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए सही रंग भरेगे। उतरदाता संख्या 2 ने हल्का पटवारी से मिलावट कर नक्शा में अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात उतरदाता संख्या 1 के समक्ष पेश किये। पटवारी हल्का व उतरदाता संख्या 2 पर विश्वास करके अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर कर हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंप दिये जिस पर उतरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा-काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब उतरदाता संख्या 2 द्वारा अपीलांट्स की रहवासी ढाणीयों व पानी की टंकी अपने हिस्से में आने का बताया तथा अपीलांट्स के आवागमन में बाधा डाल कर आवागमन के रास्तों को अवरूध किया। जिस पर अपीलांट्स को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार बाड़मेर नकलें मांगी जो




जिला कलक्टर
बाड़मेर

नकले अपीलांट्स को दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा मौजा आसुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 282, 312 रकबा 84-07 बीघा आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे-काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।
7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा आसुओं की ढाणी में खेत खसरा संख्या 282, 312 रकबा 84-07 बीघा भूमि खातेदारान मंगला दमा जेठा पि. रावता कौम मेघवाल साकिन आसुओं की ढाणी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 10.12.2010 को प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी सांजटा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 35 दिनांक 10.12.2010 पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट्स की ढाणी, पानी के टांके इत्यादि उतरदाता के हिस्से में चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, पानी के टांके इत्यादि उतरदातागण के कब्जे में चले गये हैं ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया है कि पक्षकारान की पृथक-पृथक रहवासी ढाणी, पानी के टांके इत्यादि बने हुए हैं तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन




जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 35 दिनांक 10.12.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।
9. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर